कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-11-02-2026

Trojan व SMS forwarder Based APK भेजकर कुल 42,50,000/- रूपये की साइबर ठगी करने वाले गैग के सरगना सहित 05 साइबर अपराधी धनबाद झारखण्ड से गिरफ्तार व उनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित सामाग्री, चार पहिया वाहन व नकदी बरामद।

दिनांक 08.12.2025 को आवेदक/पीडित श्री मदन मोहन मिश्रा पुत्र स्व0 त्रिभुवन मिश्रा निवासी तिवारीपुर थाना चैबेपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम वाराणसी मे लिखित प्रार्थनापत्र इस आशय से दिया गया कि उनके बैक खाते को साइबर अपराधियों द्वारा अवैध रूप से हैक कर कुल 42,50,000/- रूपये की साइबर ठगी कर ली गयी है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर 0046/2025 धारा- 318(4) BNS & 66D IT Act व बढोत्तरी धारा- 61(2), 317(2),338,336(3),340(2) BNS पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री उदयबीर सिंह द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल व अन्य सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देश के क्रम में एक टीम का गठन कर उक्त घटना के अनावरण हेतु टीम को निर्देशित किया गया जिसके क्रम मे गठित टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व डिजिटल फूटप्रिंट के माध्यम से त्वरित कार्यवाही करते हुए धनबाद झारखण्ड से 05 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 04 अदद एंड्रायड मोबाइल, 01 अदद सिम कार्ड, 02 अदद नोटिस 41ए सीआरपीसी (दिल्ली पुलिस), 01 अदद मोहर (मुखिया) मय पैड, 05 अदद ब्लैंक आधार अपडेशन फार्म, 01 अदद चार पहिया वाहन ब्रेजा बिना नंबर की व मुकदमा अपराध से सम्बन्धित नगद धनराशि कुल – 66000/- रुपये बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

मुकदमा उपरोक्त मे गिरफ्तार साइबर अपराधियों द्वारा सर्वप्रथम Trojan & SMS Forwarder Based APK File भेजकर उनके मोबाइल फोन का एक्सेस ले लिया जाता है जिसके माध्यम से उनके बैंक खातो मे अनधिकृत पहुंच कर उनके मोबाइल से Internet Banking User ID & Password व OTP चोरी कर बैंक खातो का एक्सेस ले लिया जाता है जिसके माध्यम से खातो मे उपलब्ध पैसो को Mule Bank Accounts मे ट्रान्सफर कर कैश निकाल लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा ग्राम प्रधान के फर्जी लेटर पैड, मुहर तथा आधार अपडेशन फार्म का अवैध रूप से प्रयोग करते हुए विभिन्न व्यक्तियों का आधार का पता आदि बदल दिया जाता है उसके बाद उन्ही आधार कार्ड के माध्यम से विभिन्न बैक मे खाता खुलवाया जाता है और उन्ही का प्रयोग इस तरह के साइबर अपराध मे किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- ✓ ***शमीम अंसारी पुत्र फकरूद्दीन उर्फ निरंजन पता- कालाडाबर, पोस्ट- बरवां, थाना गोविन्दपुर, जनपद- धनबाद, झारखण्ड उम्र करीब 32 वर्ष***
- ✓ ***फकरूद्दीन उर्फ निरंजन पुत्र छोटू मियां पता- कालाडाबर, पोस्ट- बरवां, थाना गोविन्दपुर, जनपद- धनबाद, झारखण्ड उम्र करीब 50 वर्ष***

- ✓ *नसीम अंसारी पुत्र फकरूद्दीन उर्फ निरंजन पता- कालाडाबर, पोस्ट- बरवां, थाना गोविन्दपुर, जनपद- धनबाद, झारखण्ड उम्र करीब 31 वर्ष*
- ✓ *शाहबुद्दीन अंसारी पुत्र असिरुद्दीन अंसारी पता- कालाडाबर, पोस्ट- बरवां, थाना गोविन्दपुर, जनपद- धनबाद, झारखण्ड उम्र करीब 34 वर्ष*
- ✓ *साहब लाल मरांडी पुत्र बुलई मरांडी पता- जिलिंगटाड़ सिजुआ मोराडीह, थाना निरसा, जनपद- धनबाद, झारखण्ड उम्र करीब 48 वर्ष*

आपराधिक इतिहास का विवरण

1-मु0अ0सं0-338/2024 धारा- 191(2), 126(2), 127(2), 115(2), 109(1), 132, 352, 190 बीएनएस थाना गोविन्दपुर, जनपद- धनबाद, झारखण्ड, ***(फकरूद्दीन उर्फ निरंजन अंसारी, शमी अंसारी, नसीम अंसारी)***

2-मु0अ0सं0- 0051/2022 धारा- 147,148,149,152,186,189,353,120बी भादवि. थाना गोबिन्दपुर, जनपद- धनबाद, झारखण्ड, ***(अभियुक्त- फकरूद्दीन उर्फ निरंजन अंसारी)***

बरामदगी का विवरण-

✓ *एंड्रायड मोबाइल-*	*04 अदद,*
✓ *सिम कार्ड-*	*01 अदद*
✓ *41ए सीआरपीसी (दिल्ली पुलिस) -*	*02 अदद नोटिस*
✓ *मोहर (मुखिया) मय पैड-*	*01 अदद,*
✓ *ब्लैंक आधार अपडेशन फार्म-*	*05 अदद,*
✓ *चार पहिया वाहन ब्रेजा बिना नंबर-*	*01 अदद की ,*
✓ *नगद धनराशि कुल –*	*66000/- रुपये*

- **गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-**

✓ *निरीक्षक उदयबीर सिंह*
✓ *उ0नि0 संजीव कनौजिया*
✓ *स0उ0नि0 गौरव तोमर*
✓ *हे0का0 गोपाल चैहान*
✓ *का0 पृथ्वीराज सिंह*
✓ *का0 सूर्यभान सिंह*
✓ *का0 दिलीप कुमार*
✓ *का0 देवेन्द्र यादव*
✓ *मु0आ0 चालक विजय कुमार*

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त (अपराध)
कमिश्नरेट वाराणसी।